



CENTRAL SILK BOARD
MINISTRY OF TEXTILES
GOVERNMENT OF INDIA
CSB COMPLEX, B.T.M. LAYOUT
BANGALORE - 560 068
Phone: 26282304, FAX:26781458

NO.CSB-18/DPC/08-09/INV/Vol-I
To

Date: 29th Sept 2014

Sub:- Timely remittance of NPS Contribution- reg.,
Ref:- No.PFRDA/21/1/8 Dated 16th June 2014

@@@@@

I am directed to refer to the subject cited above and to inform that as per the instructions of Pension Fund Regulatory and Development Authority, New Delhi, regarding "Timely remittance of NPS contribution" which needs to be followed and accordingly streamlined the following procedures for compliance:

1. The Central Office has initiated to remit the Defined Pension Contribution in advance in order to protect subscriber's interest to NSDL, CRA, Mumbai in respect of all the officials who are covered under New Pension Scheme. (For example the advance payment of September 2014 will be remitted based on salary deduction schedule for the month of August 2014).
2. Also immediate information should be sent to Central Office in case of Death of an employee or resign from the Board's services, in order to avoid the advance contribution. If the contribution has already been made by the Central office, the same to be recovered from the concerned employee.
3. Please inform all the employees to view the statement of transaction every year and all information's available at CRA Website through online with the use of I-Pin allotted to the concerned employee by CRA.
4. Further, within 3rd of subsequent month the Defined Pension Contribution amount should be remitted through RTGS/NEFT and on the same day the proforma along with FAS printout should be sent through e-mail nps.csb@nic.in / Fax No. 080-26781458.

The above information may please be brought to the notice of all the employees who are covered under New Pension Scheme.

Yours faithfully

(CA. C.B.PRABHAKARA GUPTA)
JOINT DIRECTOR (FINANCE)



केन्द्रीय रेशम बोर्ड CENTRAL SILK BOARD

(यस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार Ministry of Textiles - Govt. of India)

केरेबो कॉम्प्लेक्स, बी टी एम लेआउट, मडिवाला

CSB Complex, BTM Layout, Madiwala

बैंगलूरु Bangalore-560 068

सं. केरेबो-18/निश्चित पेंशन अंशदान/08-09/आई एन वी/खंड-1

दिनांक : 29.09.2014

विषय : नई पेंशन योजना अंशदान के समय पर प्रेषण के संबंध में ।
संदर्भ : सं.पीएफआरडीए/21/1/8 दिनांक 16.06.2014.

महोदय,

मुझे उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सूचित करने का निदेश हुआ है कि नई पेंशन योजना अंशदान के समय पर प्रेषण से संबंधित पेंशन निधि नियंत्रण एवं विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के अनुदेशों के अनुसार उसका पालन करना चाहिए और तदनुसार उसके अनुपालन हेतु निम्नलिखित कार्य प्रणाली को सुप्रवाही बनाई गई है :

1. केन्द्रीय कार्यालय द्वारा अंशदाता के हित की रक्षा के लिए नई पेंशन योजना के अंतर्गत शामिल सभी कर्मचारियों की निश्चित पेंशन अंशदान को एन एस डी एल, सी आर ए, मुम्बई को अग्रिम में प्रेषित करना शुरू किया गया है । (उदाहरणार्थ सितम्बर 2014 का अग्रिम भुगतान अगस्त 2014 महीने के वेतन कटौती अनुसूची के आधार पर किया जाएगा) ।
2. किसी भी कर्मचारी की मृत्यु अथवा बोर्ड की सेवा से पदत्याग करने पर अग्रिम अंशदान से बचने हेतु तुरंत सूचना केन्द्रीय कार्यालय को देनी चाहिए । यदि केन्द्रीय कार्यालय द्वारा पहले ही अंशदान भेजा गया है तो उसे संबंधित कर्मचारी से वसूल करना चाहिए ।
3. कृपया सभी कर्मचारियों को सूचित किया जाए कि प्रत्येक वर्ष लेन-देन की विवरणी और सी आर ए वेबसाइट में उपलब्ध सभी सूचना सी आर ए द्वारा संबंधित कर्मचारी को आर्बिटि आई-पिन के उपयोग से ऑन लाइन देखें ।
4. आगे, परवर्ती महीने के तीस तारीख के अंदर निश्चित पेंशन अंशदान राशि आर टी जी एस/एन ई एफ टी द्वारा प्रेषित करनी चाहिए और उसी दिन प्रपत्र, एफ ए एस प्रिंट आउट सहित ई-मेल nps.csb@nic.in/फैक्स सं.080-26781458 द्वारा भेजना चाहिए ।

उपरोक्त सूचना नई पेंशन योजना के अंतर्गत शामिल सभी कर्मचारियों के ध्यान में लाया जाए ।

भवदीय,

(सी.ए.सी. बी. प्रभाकर गुप्ता)
संयुक्त निदेशक (वित्त)